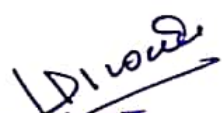


क्षतिपूरक वनीकरण में छूट के सम्बंध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पेयजल पाइपलाइन बिछाने के सम्बंध में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.09.2019 को निर्गत Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & (Clarifications) के चैप्टर-4 पैरा-42 में एफ०सी०- 11/165/2019 भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक एफ०सी०, दिनांक 27.07.2020 के द्वारा स्पाष्टीकरण जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि यदि प्रभावित वन भूमि में कोई वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है तो क्षतिपूरक वनीकरण में छूट प्रदान की जायेगी।

प्रस्तावित कोटा मुस्तकिल, मधेपुरा एवं रायपुरा पेयजल पाइपलाइन बिछाने के प्रस्ताव में किसी भी प्रकार के वृक्ष का पतन नहीं किया जायेगा। अतः प्रस्तावित प्रस्ताव में क्षतिपूरक वनीकरण में छूट प्रदान किया जाय ।


उप वनसंरक्षक
जालोन सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
उरई (जालोन)


(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
Executive Engineer
Orai Division
U.P. Jal Nigam, Orai